भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सं. भाविप्रा/मासं/एसएससी/ईडीसीएएस/2020/391 20 दिसंबर, 2021

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र
दक्षिणी क्षेत्र/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उड़ान निरीक्षण एकक/ रेडियो निर्माण एवं विकास एकक

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ने.सु.च.बो. हवाईअड्डा/चेन्नई हवाई अड्डा

निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
केंद्रीय रेडियो भंडार डिपो/ एवं यांत्रिक कार्यशाला

प्राचार्य
सीएटीसी प्रयागराज

<u>विषय : भा.वि.प्रा कर्मचारी की निर्धारित संरक्षण पेंशन योजना - नाम के मिसमैच संबंध में।</u>

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में भा.वि.प्रा कर्मचारी की निर्धारित संरक्षण पेंशन योजना_(भाविप्राईडीसीएएस) लागू किया गया है और वार्षिकी दावा निपटान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना को प्रभावी रुप से संचालित करने के लिए विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं। वार्षिकी दावा प्रपत्रों को प्रेषित करते समय निम्नलिखित निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए|

1. कर्मचारी/ नामित का मिसमैच नाम : नाम में बेमेल के संबंध में क्षेत्र/ एककों से प्रश्न प्राप्त हुआ है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि, वार्षिकी दावा प्रपत्र और बैंक विवरण में वार्षिकीदार/पति/पत्नी/नामित/ का नाम समान होना चाहिए और कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से कम से कम एक अर्थात आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कार्यालय रिकॉर्ड और इसे संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित/साक्ष्यांकित किया जाना आवश्यक है।
2. ईडीसीएएस दावा फॉर्म (रिक्त) सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति सूचना के साथ कम से कम 03 महीने पहले दिया जाना है ताकि मामले को सेवानिवृत्ति के अगले महीने तक निपटाया जा सके।

भवदीय
ह/-...
(सुनील दत्त)
कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

- अध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी
- सदस्य (मा.सं) / सदस्य (वित्त)
- कार्यपालक निदेशक (मा.सं)-1 / कार्यपालक निदेशक (वित्त/ आ. ले परीक्षा)